

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम OSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

संपूर्ण स्वापित्ववाली सङ्योगी: Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

Ref. DICGC/CSD/ 3458 /05.02.903/2017-18

December 29,2017

To

सभी आरसीएस कार्यालय All RCS Offices प्रति

> Incorporation of Aadhar Card No in respect of each insured depositor बीमाकृत दावेदारोका आधार नंबर शामिल करनेके समन्ध मे

कृपया मुख्य और पूरक दावे तैयार करने के संबंध में हमारे निर्देश देखें। यह सूचित किया जाता है कि भविष्य में अनुपूरक दावों सहित सभी दावों को तैयार करते समय परिसमापक आवश्यक रूप से आधार नंबर शामिल करने का प्रयास करे जिससे राशि का सीधे भुगतान किया जा सके और यह भी सुनिश्चित करे कि जमाकर्ता को एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त हो। चूंकि बैंक खातों और मोबाईल नंबर से आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, इससे जमाकर्ताओं को सूचना का प्रसार करने में मदद मिलेगी।

कृपया सभी परिसमापकों को आवश्यक सूचना जारी करें।

Please refer to our instructions preparation of main and supplementary claims. It is advised that in all future claims prepared including supplementary claims, the liquidator should try to incorporate the Aadhar Number invariably to enable paying funds directly and also ensure that SMS is sent to depositors. Since Aadhar linkage to bank accounts and mobile has been made mandatory, this will help dissemination of information to depositors.

Please issue necessary instruction to all liquidators.

Buttace T

वे गो वेंकटचलपति / V G Venkata Chalapathy महाप्रबंधक / General Manager

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं. 4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008 HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No. 4571 Mumbai Central, Mumbai-400 008 दूरभाष Tel: 23084121 Ext : 2213, 2216 फैक्स: Fax: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।